Factual and Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 708/2022

Madan Singh Gusain .....Applicant

Versus

Arya Vihar Ashram & Ors. .....Respondent

I. BACK GROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 708/2022, Madan Singh Gusain Vs Arya Vihar Ashram & Ors. issued inter alia following directions on 30.09.2022:

"xxx.....xxx.....xxx

2. .....*We however find it appropriate to first obtain a factual report for which purpose we constitute a joint committee comprising Uttarakhand State PCB and District Magistrate, Uttarkashi who shall visit the premises and submit a joint report within one month by e-mail at judicial–ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

xxx.....xxx.....xxx"

II. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 30.09.2022, the joint committee has undertaken inspection of the area in question on 31.10.2022 Following officials of the Joint Committee were part of the inspection :-

1. Sh. Chatur Singh Chauhan, Sub District Magistrate, Bhatwari, Uttarkashi.

2. Sh. S.K. Dimri, Asst. Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.

III. OBSERVATION OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE NGT :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–708/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 के क्रम में बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0– यू0के0पी0 सी0बी0/एच0ओ0/सामान्य–183–627/2022/1165 दिनांक 15.10.2022 द्वारा गठित समिति/विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधियों द्वारा आर्य विहार आश्रम के द्वारा साबुन के निर्माण से जनित अनुपचारित अपशिष्टों को भागीरथी नदी में प्रवाहित किये जाने के सम्बन्ध में है, का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 31.10.2022 को किया गया। आर्य विहार आश्रम से सम्बन्धित आख्या निम्नवत है:–

1. आर्य विहार आश्रम ग्राम सैंज, गंगोत्री रोड, उत्तरकाशी में स्थित है, आश्रम लगभग 24 वर्षों से संचालित हो रहा है।
2. आश्रम में 18 कमरे, 01 किचन एवं एक योग/साधना हॉल है।
3. आश्रम को हरित श्रेणी (लघु) के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Soap manufacturing (hand made without steam boiling/boiler) हेतु 31.03.2029 तक जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत सहमति प्राप्त है। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–01)।**
4. आश्रम में स्थित साबुन निर्माण इकाई से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित होना नहीं पाया गया है, घरेलु उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु Septic Tank/Soak Pit का निर्माण किया गया है एवं उत्प्रवाह का निस्तारण Septic Tank/Soak Pit के माध्यम से किया जा रहा है।
5. निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार का अनुपचारित (Untreated Effluent) उतप्रवाह (घरेलु/औद्योगिक) भागीरथी नदी एवं Bhagirithi Eco Sensitive Zone में निस्तारित होता नहीं पाया गया।
6. इकाई द्वारा भूमिगत/नदी के जल का दोहन नहीं किया जा रहा है, दैनिक प्रयोग हेतु जल संस्थान से संयोजन प्राप्त किया गया है।
7. आश्रम की नदी से दूरी लगभग 50मी0 है।
8. उपरोक्त आश्रम एवं साबुन निर्माण इकाई हरित श्रेणी के अंतर्गत आच्छादित है, जबकि Bhagirithi Eco Sensitive Zone की अधिसूचना के अंतर्गत वर्णित प्रतिबंधित प्रक्रियाओं में नहीं आता है। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–02)।**
9. पूर्व में उक्त प्रकरण कि जांच जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–03)।**
10. पुलिस विभाग, उत्तरकाशी के द्वारा भी उक्त के सम्बन्ध में जांच की गयी। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–04)।**
11. आश्रम द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा निर्गत जल/वायु सहमति शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

The reports are being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

****

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 708/2022 के निरीक्षण के सबंध में

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 708/2022 मे पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 के क्रम में बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सामान्य–183–627/2022/1165 दिनांक 15/10/2022 द्वारा गठित समिति/ विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधियों द्वारा आर्य विहार आश्रम के द्वारा साबुन के निर्माण से जनित अनुपचारित अपशिष्टों को भागीरथी नदी में प्रवाहित किये जाने के संबधं में है, का संयुक्त निरिक्षण आज दिनांक 31.10.2022 को किया गया। निरिक्षण के समय उपस्थिति निम्नानुसार रही है :–

1. श्री चतर सिंह चौहान, उपजिलाधिकारी भटवाडी, उत्तरकाशी।
2. श्री एस0के0डिमरी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

आर्य विहार आश्रम के सबंध में आख्या निम्नवत् है–

1. आर्य विहार आश्रम ग्राम सैज गंगोत्री रोड उत्तरकाशी में स्थित है, आश्रम लगभग 24 वर्षो से संचालित हो रहा है।
2. आश्रम में 18 कमरे , 01किचन एवं एक योग/साधना हॉल है।
3. आश्रम को हरित श्रेणी (लघु)के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Soap manufacturing [hand made without steam boiling /boiler] हेतु 31.03.2029 तक जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत सहमति प्राप्त है। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–01)**
4. आश्रम में स्थित साबुन निर्माण इकाई से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित होना नही पाया गया है, घरेलु उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु Septic Tank/SoakPit का निर्माण किया गया है एवं उत्प्रवाह का निस्तारण Septic Tank/SoakPit के माध्यम से किया जा रहा है।
5. निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार का अनुपचारित [Untreated Effluent] उत्प्रावह (घरेलु/औद्यौगिक) भागीरथी नदी एवं Bhagirithi Eco Sensitive Zone में निस्तारित होता नही पाया गया।
6. इकाई द्वारा भूमिगत/नदी के जल का दोहन नही किया जा रहा है, दैनिक प्रयोग हेतु जल संस्थान से संयोजन प्राप्त किया गया है।
7. आश्रम की नदी से दूरी लगभग 50 मी0 है।
8. उपरोक्त आश्रम एवं साबुन निर्माण इकाई हरित श्रेणी के अंतर्गत आच्छादित है, जोकि Bhagirithi Eco Sensitive Zone की अधिसूचना के अंतर्गत वर्णित प्रतिबंधित प्रकियाओं में नही आता है। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–02)**
9. पूर्व में उक्त प्रकरण कि जांच जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–03)**
10. पुलिस विभाग, उत्तरकाशी के द्वारा भी उक्त के संबंध में जांच की गयी। **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–04)**
11. आश्रम द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून द्वारा निर्गत जल/वायु सहमति शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित।

श्री एस0के0डिमरी,
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

श्री चतर सिंह चौहान,
उपजिलाधिकारी भटवाडी, उत्तरकाशी।

उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी

PUC - 2019 - 2029 संलग्नक - 1

UEPPCB

4

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun (Uttarakhand)
Web: www.ueppcb.uk.gov.in, E-mail: ro.uudehradun@gmail.com

UEPPCB/ROD/C-34 **/2018-19/2496—1152** **Date: 11/11/19**
REGD. POST

To,

M/s Sri Arya Trust
Plot No. 1
Arya Trust, Gram Sainj, Bishanpur, Bhatwari
Distt. Uttarkashi.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act respectively).

PCB ID - 11862	Inward ID – 243861	Date: 16.09.2019
	CCA (Renewal)	
Consent No. AW- 21126/		Date: 11/11/19.

CCA is hereby granted to M/s Sri Arya Trust located at Plot No. 1, Arya Trust, Gram Sainj, Bishanpur, Bhatwari, Distt. Uttarkashi subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the oders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted up to 31.03.2029 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values ` 0.24 Crs:-

S. No.	Last CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1	Soap	2500.00 Nos.	Soap	2500.00 Nos.

2. Specific Conditions under Water Act:

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

	Last CTE	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil.	Nil.
Sewage	0.05 KLD	0.05 KLD

(ii) **Trade effluent treatment and disposal - Nil.**

(iii) **Sewage Treatment and Disposal:** The applicant shall provide appropriate treatment and disposal as per norms.

3. Conditions under Air Act :-

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate

and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
Not Applicable						

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules :-

(i) Number of authorization and date of issue : ——Nil————————

(ii) The Factory Manager of M/S ..... is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.

(iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
	Not Applicable		

(iv) The authorization shall be in force for a period from ————NIL————

(v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:

(i) The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder.

(ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.

(iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.

(iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

(v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.

(vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.

(vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for Mixing, Moulds, Hand Cutting and Packing process only.

6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-

(I) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.

(ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
(iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

11/5/2015

Regional Officer (I/c)

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Regional Officer (I/c)

Annexure

Specific Conditions:

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
2. A Solid wastes generated from the industry has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
3. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The applicant shall develop green belt within the premises.
5. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
6. The industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
7. Unit shall strictly comply with the provisions of the The Public Liability Insurance Act, 1991 as amended and Rules made there under and shall submit copies of Insurance Policies (if any) to the Board Offices regularly.
8. This consent is valid for domestic effluent only, Industrial effluent should not be generated.
9. This consent is valid for Mixing, Moulds, Hand Cutting and Packing process only. If any change in process, product, capacity, unit must be obtained fresh CTE/COP as per Act.

General Conditions:

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoE&F and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.

8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board.
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet out side the main factory gate within premises.
18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in Form-3 and shall submit annual return in Form-4 on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.
20. In case of any accident, complete details in the light of Form-14 of the Hazardous Rules shall be submitted to this Board at the earliest.
21. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
22. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
23. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.
24. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
25. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
26. In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous Rules shall be submitted to the Board.

11/10/2017

Regional Officer (I/c)

संलग्नक-2

8

(21) **Man-made Heritage.-** Buildings, structures, artefacts, temples, streets, areas and precincts of historical or architectural or aesthetical or cultural or environmental significance shall be indentified and plans for their conservation, shall be prepared within one year from the date of publication of this Notification and incorporated in the Zonal Master Plan. Guidelines and regulations shall be drawn up by the State Government to regulate building and other activities around the heritage structures or sites so that the special character and distinct ambience of the heritage structure or site and area are maintained.

3. Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-sensitive Zone:

(a) **Prohibited activities in the Eco-sensitive Zone:** The following activities shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone:

(i) **River Valley projects:** Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants on the river Bhagirathi and all its tributaries from Gaumukh to Uttarkashi except micro or mini hydel power projects, which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the gram sabha and all other requisite clearances;

(ii) abstraction of river water for any new industrial purposes;

(iii) **Mining of Minerals and stone quarrying and crushing:** all types of mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing except for the domestic needs of *bona fide* local residents. The limited mining,

stone quarrying and crushing shall be based on site evaluation, provided that such activities are not done on existing steep hill slopes or areas with high degree of erosion, spring lines, ground water recharge areas. The Monitoring Committee shall be the authority to grant such special permission.

Note: *bona fide* local residents means someone who is residing in that area for an uninterrupted period and who is on the electoral roll as on date of this Notification, together with his minor children.

(iv) **Commercial felling of trees:** Commercial felling of trees and setting up of any wood based industry in the Eco-sensitive Zone, except local activities and livelihoods which include wood collection, cottage industry like bamboo basket subject to consent of the gram sabha and all other requisite clearances.

(v) Setting up of saw mills.

(vi) Commercial use of firewood.

(vii) **Polluting Industries:** Any new highly polluting industries and expansion of existing such industries;

(viii) **Sewage and industrial effluents:** Discharge of untreated sewage and industrial effluents. However, treated sewage and industrial effluents meeting the water quality standard shall be permitted;

(ix) **Use of plastic carry bags:** Use of plastic bags in shops, commercial establishments, tourist spots etc. and manufacturers, wholesalers, distributors, retailers etc., selling products in non-biodegradable containers

shall implement a scheme for the buy back and recycling of their containers and/ or packaging.

(x) **Hazardous waste processing units:** The industries processing the hazardous waste as provided in the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 as amended from time to time.

(b) **Regulated activities in the Eco-sensitive Zone.-** The following activities shall be regulated in the Eco-sensitive Zone as per the prevalent acts and rules.

(i) **Water.-** (1) the extraction of ground water shall be permitted only for the agricultural and domestic consumption of the *bona fide* occupier of the plot and the sale of ground water shall not be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board; (2) all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture;

(ii) **Trees.-** There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, revenue and private land, granted in such manner as may be laid down by the State Government.

(iii) Defense installations and any other infrastructure development related to national security.

(iv) The plantation of pine trees in the Eco-sensitive Zone.

(v) Introduction of exotic species

(vi) Establishments of hotels and resorts.

(vii) Erection of electric cables.

संलग्नक -(3)

11

उपजिलाधिकारी,
भटवाड़ी।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्या/ 606 /पी.ए.-विविध/2022 दिनांक 27 मई, 2022

विषय:- **Complaint against Arya Vihar Ashram, Village Saunj, Gangotri road, uttarkashi uttarkhand** के संयुक्त निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या- 2746/21-15 (2016-17) दिनांक 04 मार्च, 2022 एवं पत्र संख्या-2728/21-15 (2016-17) दिनांक 03 मार्च, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता श्री भूमेश रमोला, एवं श्री अजय सिंह, निदेशक सौरा कॉटेज प्रा0लि0 ग्राम सौरा उत्तरकाशी के शिकायती पत्र के कम में आर्य विहार आश्रम ग्राम सैंज, उत्तरकाशी के विरूद्ध शिकायती पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की संयुक्त जांच कमेटी गठित कर स्थल पर जाकर जांच कर सुस्पष्ट संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

गठित समिति से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
भटवाड़ी।

सूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत
सत्य प्रतिलिपि

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी, उत्तरकाशी

श्री भूपेश रमोला एवं श्री अजय सिंह, निदेशक सौरा कॉटेज प्रा0लि0, ग्राम–सौरा, उत्तरकाशी के शिकायती पत्र तथा उक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के कार्यालय पत्र संख्या–2746/21–15 (2016–17) दिनांक 04 मार्च,2022 एवं पत्र संख्या–2728/21–15 (2016–17) दिनांक 03 मार्च, 2022 के आदेश के कम मे श्री आर्य विहार आश्रम, ग्राम–सैंज, उत्तरकाशी के विरूद्व शिकायती पत्र मे उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की जांच हेतु उपजिलाधिकारी, भटवाडी, उत्तरकाशी के कार्यालय पत्र संख्या 463 दिनांक 14 मार्च, 2022 से गठित संयुक्त जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या–

उपरोल्लिखित के अनुसार गठित समिति के निम्न लिखित सदस्यों के द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2022 को श्री आर्य विहार आश्रम, ग्राम–सैंज, उत्तरकाशी का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

1– श्री रूप सिंह, तहसीलदार, भटवाडी।

2–श्री एस0एस0 रावत, सीटीओ, राज्य व्यापार कर विभाग।

3–श्री प्रदीप बिष्ट, वन रेंज अधिकारी, मुखेम रेंज।

4–श्री यू0के0तिवारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी।

5–श्री त्रिलोक रमोला, उप कोषाधिकारी, भटवाडी।

6–श्री यशवंत सिंह रावत, अपर सहा0अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी।

7–श्री प्रदुम्न नौटियाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

निरीक्षण के समय श्री आर्य विहार आश्रम से सम्बन्धित श्री आर्य ट्रस्ट की अध्यक्षा सुश्री प्रियादर्शिनी पटेल एवं ट्रस्टी श्री हेमन्त ध्यानी उपस्थित थे। आश्रम के स्थलीय निरीक्षण एवं प्रस्तुत किये गये सम्बन्धित प्रपत्रों एवं अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नवत है।

1– श्री आर्य विहार आश्रम से सम्बन्धित श्री आर्य ट्रस्ट, ग्राम–सैंज, पोस्ट मनेरी, उत्तरकाशी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–क के अन्तर्गत दिनांक 11.7.1994 से पंजीकृत है। सम्बन्धित प्रपत्र संलग्नक–3 पर प्रस्तुत है।

2– श्री आर्य विहार आश्रम से सम्बन्धित श्री आर्य ट्रस्ट के द्वारा ग्राम सैंज मे सन् 1994 से 1996 तक 2.517 हैक्टेयर भूमि कास्तकारों से कय की गई थी। तहसीलदार भटवाडी का सम्बन्धित प्रमाणपत्र दिनांक 14.11.2003 संलग्नक 5 पर प्रस्तुत है।

कमशः–2

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी, उत्तरकाशी

3– श्री आर्य ट्रस्ट FCRA के अन्तर्गत पंजीकरण सं0 347980008 दिनांक 25.06.2004 से पंजीकृत है। स्थलीय निरीक्षण के समय ट्रस्ट की अध्यक्षा द्वारा बताया गया कि इस मद मे प्राप्त विदेशी अनुदान का उपयोग आश्रम मे साधकों के योग–साधना तथा उनके रहने खाने की व्यवस्थाओं मे व्यय किया जाता है। श्री आर्य ट्रस्ट को FCRA के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के किये जा रहे उपयोग की पूर्ण जांच के लिये यह समिति सक्षम नहीं है।

4– श्री आर्य विहार आश्रम, ग्राम सैंज के द्वारा जल संस्थान से जल संयोजन लिया गया है। इससे सम्बन्धित प्रपत्र संलग्नक–4 पर प्रस्तुत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आश्रम की गतिविधियों मे प्रयुक्त जल का श्रोत जल संस्थान है।

5– श्री आर्य विहार आश्रम, ग्राम सैंज होली रिवर भागीरथी के किनारे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। स्थलीय निरीक्षण मे यह भी पाया गया है कि आश्रम का सीवेज सैप्टिक टैंक नदी के किनारे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है। इस सिवेज टैंक से गंगा नदी मे कोई **discharge** जाना नहीं पाया गया है। आश्रम के अन्दर सीमेन्ट–कांन्क्रीट से सम्बन्धित कोई भवन निर्माण नहीं पाया गया है। आश्रम मे साधकों के निवास एवं योगशाला के लिये **Wooden Based-Eco Friendly** भवनों का निर्माण हुआ है।

6– श्री आर्य ट्रस्ट के द्वारा श्री आर्य विहार आश्रम, ग्राम सैंज मे मेसर्स सुन्दरम उद्योग के नाम से अतिसूक्ष्म श्रेणी मे हैंण्डमेड प्रोसेस से हर्बल सोप, फेसवाश एवं कीम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस उद्योग के लिये उद्योग विभाग उत्तरकाशी मे उद्योग मेमोरेन्डम भी फाईल किया गया है जिसका **EM Acknowledgment Part-2 No. 050100000209 Dated 08.09.2010** है। इस उद्यम मे उत्पादन की तिथि 10.07.2010 दर्शाई गई है। निरीक्षण मे समिति के सदस्यों ने पाया कि उद्यम मे सोप एवं सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण वनस्पति तेलों, विभिन्न हर्बल उत्पादों तथा सोडियम हाईड्रोक्साईड के द्वारा किया जाता है। उत्पादन प्रकिया मे किसी प्रकार का कोई **Trade Effluent** का **Discharge** नहीं होता है। सम्बन्धित उद्यम को उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिनांक 31.03.2029 तक के लिये संचालन हेतु सहमति नवीनीकरण सं0 **AW-21126 Dated 11.11.2019** जारी किया गया है। सम्बन्धित प्रपत्र संलग्नक 1 पर प्रस्तुत है। इस सहमति पत्र मे भी उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा **Trade Effluent** का **Discharge** शून्य अंकित है।

7– मेसर्स सुन्दरम उद्योग ए यूनिट ऑफ श्री आर्य ट्रस्ट के द्वारा स्थापित उद्यम ईको सेन्सिटिव जोन जोकि दिनांक 18.12.2012 से घोषित है, के अन्तर्गत स्थापित है। किन्तु मेसर्स सुन्दरम उद्योग मे उत्पादन कार्य दिनांक 10.07.2010 से प्रारम्भ हो गया था, जोकि ईको सेन्सिटिव जोन घोषित होने के पूर्व का है। यह कुटीर उद्योग पूर्णतः हैण्डमेड प्रोसेस से एवं अप्रदूषणकारी है। जनपद मे औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये यह तथ्य भी संज्ञान मे लिया जाना आवश्यक है।

क्रमशः–3

8– मेसर्स सुन्दरम उद्योग ए यूनिट ऑफ श्री आर्य ट्रस्ट के द्वारा जीएसटी पंजीयन कराया गया है, जिसका नं0 GSTIN 05AACTS5192H1ZC है। सम्बन्धित प्रपत्र संलग्नक 1 पर प्रस्तुत है।

9–मेसर्स सुन्दरम उद्योग ए यूनिट ऑफ श्री आर्य ट्रस्ट की अध्यक्षा से उद्यम का उत्पाद हर्बल सोप, फेसवाश एवं क्रीम के उत्पादन के लिये ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त किये गये लाईसेन्स के सम्बन्ध मे प्रेक्ष्या की गई। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा बताया गया कि उनकी इकाई के पास अभी इसका लाईसेन्स नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

10– आश्रम मे विदेशी मूल के साधकों का आवागमन है। यद्यपि निरीक्षण मे इस सम्बन्ध मे कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान मे नहीं आये हैं। भारत सरकार के स्थापित दूतावास के द्वारा जारी वीजा के माध्यम से तथा Foreigners Registration Office Uttarkashi द्वारा जारी पंजीयन/निवास अनुमति के उपरान्त ही विदेशी मूल के साधक आश्रम मे निवास करते हैं। निवासरत साधकों के सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो कि संलग्नक –2 पर प्रस्तुत है।

11–समिति के सदस्यों के द्वारा आश्रम से किसी प्रकार का कोई अपशिष्ट भागीरथी नदी मे प्रवाहित होता नहीं पाया गया है। अन्य किसी प्रकार का भी कोई प्रदूषणकारी गतिविधि का होना नहीं पाया गया है।

समिति के द्वारा आश्रम के विरूद्व प्राप्त शिकायती पत्र की जांच के क्रम मे श्री आर्य विहार आश्रम से सम्बन्धित श्री आर्य ट्रस्ट की अध्यक्षा सुश्री प्रियादर्शिनी पटेल के द्वारा भी अपना प्रत्यावेदन/स्पष्टीकरण दिनांक 26.03.2022 एवं सम्बन्धित प्रपत्रों एवं अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया है, जो इस आख्या के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अजय सिंह द्वारा की गई सारी शिकायतें बेवुनियाद व निराधार पाई गयी है। श्री आर्य ट्रस्ट एक 28 साल पुरानी संस्था है जो आध्यात्म एवं जनहित में कार्य कर रही है।

उपरोक्तानुसार जांच आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

श्री यू0के0तिवारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी।	श्री प्रदीप विष्ट, वन रेंज अधिकारी, मुखेम रेंज।	श्री एस0एस0 रावत, सीटीओं, राज्य व्यापार कर विभाग	श्री त्रिलोक रमोला, उप कोषाधिकारी, मटवाडी।	श्री मधुसूदन नौटियाल, अपर सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	श्री यशवंत सिंह रावत, अपर सहा0 अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी।	श्री रूप सिंह, तहसीलदार, मटवाडी।

अनुलग्नक – (4)

15

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद उत्तरकाशी।

महोदय,

विषयः– कृपया अपने पत्रांक–एसटी–शिका0–डीजी–27/22 दिनांक–11.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदक भूमेश रमोला पुत्र प्रताप सिहं रमोला निवासी ग्राम औंगी तहसील भटवाड़ी कोतवाली मनेरी जनपद उत्तरकाशी के शिकायती प्रार्थना पर अंकित आरोपों की जाँच कर आख्या उपलब्ध करवाने विषयक।

आवेदक का नाम पताः– भूमेश रमोला पुत्र प्रताप सिहं रमोला निवासी ग्राम औंगी तहसील भटवाड़ी कोतवाली मनेरी जनपद उत्तरकाशी

विपक्षी का नाम पताः– हेमन्त ध्यानी आदि आर्य विहार आश्रम ग्राम सैंज थाना मनेरी जनपद उत्तरकाशी।

आरोपः– विपक्षी गण हेमन्त ध्यानी आदि द्वारा आर्य विहार आश्रम, ग्राम सैंज में स्थित सुन्दरम उद्योग में अवैध गतिविधियां कर बिना रजिस्ट्रेशन के साबुन इत्यादि का उत्पादन करना आदि।

महोदय आवेदक द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक मनेरी से आख्या प्राप्त की गई है, जांच के दौरान आश्रम के विरूद्ध दो और इसी विषय से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र संज्ञान में आये जो अजय सिंह एवं सोनमाला देवी द्वारा प्रेषित किये गये थे। प्रेषित प्रार्थना पत्रों की जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान अंकित किये गये है जो निम्नवत हैः–

बयान आवेदक श्री भूमेश रमोला पुत्र श्री प्रताप सिंह रमोला निवासी ग्राम औंगी कोतवाली मनेरी जिला उत्तरकाशी मो0नं0–7819003275 ने पूछने पर बताया कि मैं उक्त पते पर अपने परिवार के साथ मे रहता हूँ। घर पर मेरे पिता जी व माता जी पत्नी व दो बच्चें है घर मे मैं मेरे पास दो खच्चर भी है जिससे मेहनत मजदूरी कर मैं अपने घर का गुजारा बसरा करता हूँ लगभग 20–22 वर्ष पूर्व हमारे गांव के पास नदी किनारें गंगाजल नाग से एक आदमी ने मिनरल वाटर का प्लांट लगाया जिस व्यक्ति ने वह प्लांट लगाया उसका नाम अजय सिंह है। उस प्लांट में मैंने भी 15–16 साल कार्य किया वह मुझे 12000 रू0 मासिक तनख्वाह देते थे मेरी पहचान अजय सिंह से हो गयी अजय सिंह के द्वारा ग्राम सौरा के लोगों से कुछ वर्ष पूर्व नदी किनारें एक भूमि को क्रय किया वह उस भूमि पर योगा सेंटर बनाना चाहता था उस भूमि के ठीक नदी पार आर्य विहार आश्रम है आर्य विहार आश्रम मे भी योगा व हर्बल साबुन बनाने का काम चलता है। जब अजय सिंह ने वहाँ पर योगा सेंटर बनाने का काम शुरू किया तो आर्य विहार आश्रम के हेमन्त ध्यानी ने उनकी शिकायत पटवारी को की। उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ पर अलग–अलग विभाग के उच्चाधिकारी आ गये और उन्होनें काग रूकवा दिया उसके बाद आज दिनांक 29–07–2022 तक काम बंद है। काम बाद होने से मुझे आर्थिक नुकसान हो गया। अजय सिंह के काम की देख–रेख मैं व बब्बन करते थे, अजय सिंह मेरा मालिक है। वह पेशे से वकील भी है। जब हमारा काम बंद हो गया और काम बंद कराने के पीछे

लोक सूचना अधिकारी/
पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी

Scanned with Cal

आर्य विहार आश्रम का हाथ था। तो उसके बाद हमारे मालिक ने भी उनके विरूद्ध शिकायत पत्र दिये। एक पत्र पर मैंने भी हस्ताक्षर किये थे वह पत्र आर्य विहार आश्रम के खिलाफ दिया था! वैसे मेरा इसमे कोई हाथ नही है। लडाई आर्य विहार आश्रम व अजय सिंह की आपस में है हमे इससे कोई लाभ तो नही हो रहा परन्तु मुझे नुकसान हो रहा है। मेरी नौकरी चली गयी जिससे मुझे 12000 रू0 तनख्वाह प्रति माह का नुकसान हो गया वर्तमान मे मै पूर्ण रूप से बेरोजगार हूँ। आर्थिक नुकसान होने के कारण मेरे द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया था।

<u>पूछताछ–</u> शिकायतकर्ता अजय सिहं पुत्र विरेन्द्र पाल सिहं निवासी– 122 सेक्टर–46 फरीदावाद हरियाणा– थाने के माध्यम से उक्त व्यक्ति को कई बार बयान हेतु बुलाया गया परन्तु स्वयं उपस्थित नही हुआ और ई–मेल के माध्यम से अपने टाईपशुदा बयान प्रेषित किये गये है, जो शिकायती पत्र में अंकित तथ्यों का ही समर्थन करते हुए उपलब्ध करवाया है जो संलग्न हैं।

<u>बयान गवाह पृथ्वी सिहं रावत पुत्र स्व0 श्री फतेसिहं रावत निवासी ग्राम कुमाल्टी कोतवाली मनेरी जनपद उत्तरकाशी उम्र लगभग 57 वर्ष 9012357100–</u> पृथ्वी सिहं रावत ने पूछने पर बताया कि मैं ग्राम कुमाल्टी का रहने वाला हूँ मेरा पायलेट बाबा आश्रम सैंज के पास मकान है। सैंज में स्थित आर्य विहार आश्रम, सुन्दरम उद्योग के विषय में जहां तक मुझे पता है कि सुन्दरम उद्योग काफी पुराना है वहां सावुन का उत्पादन किया जाता है। उक्त उद्योग ग्राम सैंज वालों की जमीन पर बनाया गया है। भूमेश रमोला ग्राम औंगी का रहने वाला है जिसने आर्य विहार आश्रम के खिलाफ पूर्व में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी मांगी थी। भूमेश रमोला व उसके पार्टनर अजय सिहं पुत्र विरेन्द्र पाल सिहं निवासी –122 सेक्टर –46 फरीदाबाद हरियाणा के द्वारा ग्राम सोरा वालों से जमीन खरीदकर गंगोत्री रोड पर एक सौरा कोटेज का निर्माण करवाया गया जो नदी से लगा हुआ था। जिनके खिलाफ आर्य विहार आश्रम वालों के द्वारा शिकायत दर्ज कर जांच करवायी गयी, जिसका उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश से काम रोका गया था। उक्त आर्य विहार आश्रम ग्राम सैंज में स्थित है, जिसके बारे में मैंने कभी कोई अवैध गतिविधि में संलिप्त होने की बात नहीं सुनी है। भूमेश रमोला ग्राम औंगी का रहने वाला है। जिसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं है।

<u>बयान गवाह श्रीमती पार्वती रमोला पत्नी धर्मेन्द्र रमोला निवासिनी ग्राम औंगी कोतवाली मनेरी तहसील भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी (वर्तमान ग्राम प्रधान औंगी)</u> –9557996360 ग्राम प्रधान औंगी श्रीमती पार्वती रमोला ने पूछने पर बताया कि मैं ग्राम प्रधान औगीं के पद निर्वाचित हूं मुझे यह जानकारी है कि सैंज में आर्य विहार आश्रम स्थित सुन्दरम उद्योग बना है। जिसमे साबुन का उत्पादन होता है। भूमेश रमोला को मैं जानती हूं वह मेरे ग्रामसभा में रहता है। भूमेश रमोला एवं आर्य विहार आश्रम के संचालक के बीच कोई विवाद है किन्तु विवाद क्या है इस विषय में मुझ कोई जानकारी नहीं है।

<u>बयान श्रीमती ममता नोटियाल पत्नी गंगा प्रसाद नोटियाल निवासिनी ग्राम सैंज उम्र 54 वर्ष (वर्तमान ग्राम प्रधान सैंज) 8126348356–</u> ग्राम प्रधान सैंज ममता नोटियाल ने पूछने पर बताया कि मैं ग्राम प्रधान सैंज के पद पर कार्यरत हूं मुझे यह जानकारी है कि सैंज में आर्यविहार आश्रम स्थित सुन्दरम उद्योग बना है। जिसमे साबुन का उत्पादन होता है। भूमेश रमोला को मैं नहीं जानती हूं। भूमेश

सत्यापित

लोक सूचना अधिकारी/
पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी

Scanned with Cal

रमोला एवं आर्य विहार आश्रम के संचालक के बीच कोई विवाद है इस विषय में मुझ कोई जानकारी नहीं है हमारे गावं में स्थित आर्य विहार आश्रम जहां सुन्दरता वाले साबुन वनाये जाते है जिसके वारे में मैंने कभी कोई अवैध गतिविधि में संलिप्त होने की बात नहीं सुनी है।

बयान गवाह सोनपाल सिहं रमोला पुत्र भरत सिह रमोला निवासी ग्राम सौरा तहसील भटवाड़ी उम्र 27 वर्ष (वर्तमान ग्राम प्रधान सौरा) 8937095776–ग्राम प्रधान सौरा सोनपाल सिहं ने पूछने पर बताया कि मैं ग्राम प्रधान सौरा के पद पर कार्यरत हूं मुझे यह जानकारी है कि सैंज में आर्य विहार आश्रम स्थित सुन्दरम उद्योग बना है। जिसमें साबुन का उत्पादन होता है। भूमेश रमोला को मैं जानता हूं। भूमेश रमोला ग्राम औंगी का रहने वाला है। उसने किसी शहरी व्यक्ति के साथ मिलकर ग्राम सौरा के पवन प्रसाद रतूड़ी, हरिप्रसाद जोशी से जमीन खरीदी थी जिस पर उन्होने सौरा नाम एक कोटेज का निर्माण का कार्य शुरु करवाया था जिसमें आपत्ति लगने के बाद कार्य बंद हो गया था आर्य विहार आश्रम जहां सुन्दरता वाले साबुन बनाये जाते है जिसके बारे में मैंने कभी कोई अवैध गतिविधि में संलिप्त होने की बात नहीं सुनी है।

बयान गवाह अजयपाल सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री हिम्मत सिंह राणा निवासी ग्राम सैंजधविशनपुर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी–9837592287 उम्र 74 वर्ष–ने पूछने पर बताया कि मै एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ मै आर्य विहार आश्रम को इसकी स्थापना के समय से जानता हूँ मेरा आश्रम में बराबर आना जाना रहता है, विगत 28 साल से आश्रम आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति के कार्य कर रहा है। आश्रम में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही सारी गतिविधियां होती है अतः किसी तरह की कोई प्रदुषणकारी गतिविधि का सवाल ही नही होता, भूमेश रमोला को मै जानता हूँ वह ग्राम औंगी का रहने वाला है और उसने आर्य विहार आश्रम स्थित सुन्दरम उद्योग के खिलाफ अवैध रूप से सावुन निर्माण के संबंध में शिकायत की हुई है।

बयान गवाह श्रीमती सोनमाला देवी पत्नी जगवीर राणा ग्राम प्रधान स्याबा तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी 9568503707–ग्राम प्रधान स्याबा सोनमाला देवी जो कि उपरोक्त प्रकरण में भूमेश रमोला की तरह ही शिकायत कर्ती भी है, ने पूछने पर अपने बयानों का खण्डन करते हुए अंकित कराया कि मैं ग्राम प्रधान स्याबा के पद निर्वाचित हूं मैंने भी आर्य विहार आश्रम के प्रति एक शिकायत दर्ज की थी। मैंने यह शिकायत सौरा कोटेज के मालिक भूमेश रमोला व अजय सिहं के कहने पर गुमराह होकर दी थी। सौरा कोटेज व आर्य विहार आश्रम के बीच कुछ विवाद चल रहा था। मैनें आश्रम के विरुद्व शिकायत इसलिए प्रेषित की थी कि क्योंकि उक्त के आश्रम के सदस्य ग्राम सभा स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण में आपति प्रकट कर रहे थे। अब मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य जिला प्रशासन के पास चला गया है। जिसके पश्चात से मुझे आर्य विहार आश्रम के प्रति कोई शिकायत नहीं है। मुझे यह जानकारी है कि सैंज में आर्य विहार आश्रम स्थित सुन्दरम उद्योग बना है। जिसमें साबुन का उत्पादन होता है। भूमेश रमोला को मैं जानती हूं। भूमेश रमोला ग्राम औंगी का रहने वाला है। उसने किसी शहरी व्यक्ति अजय सिहं के साथ मिलकर सौरा कोटेज का कार्य शुरु करवाया था। जिसमें कि हेमन्त ध्यानी द्वारा आर्य विहार आश्रम व सौरा के स्थानीय ग्रामीण लोगों कि आपत्ति लगने के बाद उक्त कोटेज निर्माण कार्य प्रशासनिक कार्यवाही पर बंद हो गया था। शायद शिकायतकर्ता भूमेश

सत्यापित

लोक सूचनाअधिकारी/
पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी

Scanned with Cal

रमोला आदि सौरा कोटेज मालिक व आर्य विहार आश्रम के मध्य इसी वजह से विवाद है। जहां तक मेरी जानकारी है तो आर्य विहार आश्रम के विरुद्ध व इसको संचालितकर्ता /निवासरत लोगों के बारे में मैंने कभी कोई अवैध गतिविधि में संलिप्त होने की बात न मैने देखी, न हीं सुनी है। अतः मै अपना शिकायती पत्र वापस ले रही हूँ, प्रार्थना पत्र संलग्न है।

बयान विपक्षी श्री हेमन्त ध्यानी पुत्र श्री गणेश प्रसाद ध्यानी निवासी आर्य विहार आश्रम विशनपुर/सैंज तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी–8126044807 उम्र 40 वर्ष (आर्य विहार आश्रम के ट्रस्टी) – ने पूछने पर अंकित करवाया कि वह श्री आर्य विहार आश्रम ट्रस्ट में ट्रस्टी है तथा एक साधक होने के नाते आश्रम में ही निवास करता हूँ। पर्यावरण तथा सामाजिक विषयों के विशेषज्ञ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न समितियों में भी मैने अपनी सेदायें और योगदान दिया है। आश्चर्य है कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार द्वारा देश के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन के लिये मुझे आरोपी द्वारा देशद्रोही ठहराया जा रहा है। यह न केवल व्यक्तिगत आघात पहुँचाने वाला आरोप है अपितु मेरी व श्री आर्य ट्रस्ट की गम्भीर मानहानि है। अजय सिंह और इनके माफिया गुट की जांच होनी चाहिए जो अपने निहित स्वार्थ के लिए अलग–अलग लोगों को गुमराह कर आश्रम के ऊपर फर्जी आरोप तथा शिकायत दर्ज कर रहे है इससे सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग तथा देश के संसाधन और विभागीय समय नष्ट हो रहा है। अजय सिंह ने प्रशासन को गुमराह कर जो उसके पक्ष मे भूमि क्रय का आदेश दिनांक– 20.02.2021 को प्राप्त किया वह रद्द किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के असामाजिक और आपराधिक तत्व इस पावन गंगोत्री घाटी में अपने पैर न पसार सके। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक–04.03.2022 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार को पत्र भेजा जा चुका है। अजय सिंह ने तो आश्रम के विरूद्व उन अवैध कन्टेंट तक को अपने शिकायती पत्र में डाला है जिन्हे साईबर क्राईम केस में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हटाने के आदेश हुए है। ट्रस्ट की ओर से विस्तृत प्रार्थना पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 03.06.2022 को हमारे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को प्रेषित किया जा चुका है। ट्रस्ट द्वारा दिया प्रार्थना पत्र और दस्तावेज संलग्न है।

विश्लेषणः– महोदय प्रकरण की जांच के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा आर्य विहार आश्रम में स्थित सुन्दरम उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं आर्य विहार आश्रम के अध्यक्ष से आश्रम के पंजीकरण व साबुन उद्योग का लाईसेन्स की जानकारी की गयी। आश्रम के पास उद्योग संचालित किये जाने के सम्बन्ध में वैध लाईसेन्स प्राप्त है। महोदय आवेदक भूमेश रमोला एवं अजय सिंह निदेशक सौरा कॉटेज प्रा0लि0 ग्राम सौरा उत्तरकाशी द्वारा दिनांक–03.03.2022 को जिला प्रशासन उत्तरकाशी को आर्य विहार आश्रम के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई थी। जिस पर उपजिलाधिकारी भटवाडी द्वारा दिनांक–14.03.2022 को श्री रूप सिंह तहसीलदार भटवाडी, श्री एस0एस0 रावत सीटीओ राज्य व्यापार कर विभाग, श्री प्रदीप बिष्ट वन रेंज अधिकारी मुखम रेंज, श्री यू0के0 तिवारी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उत्तरकाशी, श्री त्रिलोक रमोला उप कोषाधिकारी भटवाडी, श्री यशवंत सिंह रावत उपर सहा0अभि0 जल संस्थान उत्तरकाशी एवं श्री मधूसूदन नौटियाल सहायक अभियन्ता सिचाई खण्ड उत्तरकाशी की संयुक्त जांच हेतु एक टीम का गठन किया गया था। संयुक्त टीम द्वारा आरोपों की जांच कर दिनांक–27.05.2022 को संयुक्त जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी

Scanned with Cal

को प्रेषित की गई थी। संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री आर्य ट्रस्ट **FCRA** के अन्तर्गत पंजीकरण सं0–347980008 दिनांक–25.06.2004 से पंजीकृत है व आश्रम के सैप्टिक टैंक से गंगा नदी में कोई **discharge** जाना नहीं पाया गया है। आश्रम में साधकों के निवास एवं योगशाला के लिये **Wooden Based-Eco Friendly** भवनों का निर्माण हुआ है। आश्रम में सुन्दरम उद्योग के नाम से अति सुक्ष्म श्रेणी में हैण्ड मेड प्रोसेस से हर्बल सोप, फेसवास एवं क्रिम बनाने का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग विभाग उत्तरकाशी में उद्योग मेमोरेन्डम भी फाईल किया गया है। जिसका EM **Acknowledgment Part-2 No. 050100000209 Dated 08.09.2010** है।

संयुक्त समिति की रिपोर्ट अनुसार श्री आर्य ट्रस्ट के द्वारा श्री आर्य विहार आश्रम, ग्राम सैंज में सुन्दरम उद्योग जल संस्थान से जल संयोजन लिया गया है। आश्रम की गतिविधियों में प्रयुक्त जल का श्रोत जल संस्थान है। सम्बन्धित उद्यम को उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालन हेतु अनुमति प्राप्त है (छाया प्रति सलंग्न), जिसमें **Trade Effluent** का **Discharge** शून्य अंकित है। यह अति सुक्ष्म कुटीर उद्योग पूर्णतः हैण्डमेड प्रोसेस से एवं अप्रदूषणकारी है। यह भी ज्ञात हुआ कि सुन्दरम उद्योग को कॉस्मैटिक निर्माण हेतु लाईसेंस की प्रक्रिया संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान विचाराधीन थी तथा वर्तमान में सुन्दरम उद्योग को औषधि अनुज्ञापन एवं नियत्रंण प्राधिकरण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कॉस्मैटिक लाईसेंस प्राप्त हो चुका है।

एलआईयू के पास उपलब्ध जानकारी से यह भी प्रमाणित होता है कि आश्रम में निवासरत आगन्तुक सभी विदेशी साधक भारत सरकार/विदेश मन्त्रालय से नियमानुसार वीजा प्राप्त कर लोकल इन्टेलीजेन्स को विधिवत सूचित कर आश्रम में निवास करते है जिनका रजिस्ट्रेशन एलआईयू ऑफिस में किया जाता है, जिनमें अधिकांश साधकों का पिछले काफी समय से आश्रम में साधना हेतु आना जाना है। आश्रम को **FCRA** रजिस्ट्रेशन वर्ष 2004 से प्राप्त है जिसका समय–समय पर नवीनीकरण हुआ है जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के विस्तृत जांच और परीक्षण के उपरान्त जारी होता है। जिस पर पुलिस विभाग से जांच अपेक्षित नही है।

अजय सिंह ने अपने शिकायती पत्र में जिन Website Content का प्रयोग किया गया है वह अवैध है जो विपक्षी की शिकायत पर मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय ने साईबर क्राईम केस के अन्तर्गत उन्हे हटाने का आदेश दिये गये थे। आर्य विहार आश्रम 28 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक संस्था है जहाँ देश–विदेश से साधक साधना हेतु आते है। आश्रम मुख्यतः आध्यात्मिक व सामाजिक हित में कार्यरत है तथा सूक्ष्म स्तर पर इको फ्रेंडली साबुन निर्माण आश्रम गतिविधियों का एक छोटा हिस्सा है जो कि कर्मयोग साधना के तौर से किया जाता है। उक्त उद्योग एवं उद्योग के संचालित कर्ता श्री आर्य ट्रस्ट व ट्रस्ट मे जुडे लोगों का किसी प्रकार की अवैध एवं देश विरोधी गतिविधियों मे संलग्नता के कोई तथ्य/प्रमाण प्रकाश मे नही आये हैं जिसकी पुष्टी पूर्व में प्रकरण के सम्बन्ध में गठित सात सदस्यीय संयुक्त समिति ने भी विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट की है। आश्रम द्वारा समय पर स्थानीय लोगों की विभिन्न प्रकार से सहायता की जाती रहती है, जिनके प्रमाण जांच पत्रावली में संलग्न है।

सत्यापित

लोक सूचना अधिकारी/
पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी

Scanned with Cal

जांच के दौरान प्रकाश में आया है कि अजय सिंह के द्वारा स्थानीय लोगों से भूमि क्रय कर गंगा नदी के तट पर सौरा कॉटेज का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें आवेदक भूमेश रमोला, अजय सिंह के साथ कार्य करता था। सौरा कॉटेज का निर्माण नियम विरूद्ध एवं अवैध होने के कारण विपक्षी आर्य विहार आश्रम साधक हेमन्त ध्यानी द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन उत्तरकाशी को की गई थी, शिकायत के उपरान्त प्रशासन द्वारा सौरा कॉटेज के निर्माण की जांच की गई थी, जांच के उपरान्त उपजिलाधिकारी भटवाडी के **आदेश संख्या–441/पी0ए0–विविध** पत्रा0/2020–21 दिनांक–24.02.2022 के द्वारा अजय सिंह के नाम दर्ज सम्पूर्ण 0.659 हे0 भूमि **भागीरथी नदी के माध्य बिन्दु से 100 मी0 की दूरी के अन्तर्गत है तथा भूमि नदी किनारे से भी 50 मी0 की दूरी के अन्तर्गत स्थित है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत नदी से 100 मीटर अन्दर बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जाना प्रतिबन्धित है। आपके द्वारा बिना अनुमति खसरा संख्या–6088,6089,6090 मध्ये निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है उक्त भूमि पर निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गई है।**

अजय सिंह के सौरा कॉटेज के निमार्ण कार्य पर विपक्षी हेमन्त ध्यानी की शिकायत पर प्रशासन द्वारा रोक लगाये जाने के उपरान्त अजय सिंह द्वारा हेमन्त ध्यानी एवं आर्य विहार आश्रम को हानि पहुँचाने की नियत से अपने साथी भूमेश रमोला एवं श्रीमती सोनमाला देवी ग्राम प्रधान स्याबा को गुमराह कर आर्य विहार आश्रम एवं विपक्षी हेमन्त ध्यानी के विरूद्ध विभिन्न स्तरों पर प्रार्थना प्रेषित कर झूठे आरोप लगाये गये है। जांच के दौरान सोनमाला देवी ने भी उसे गुमराह किया जाना स्वीकार किया, बयान में सोनमाला देवी ने बताया कि अजय सिंह द्वारा स्याबा ग्राम सड़क निर्माण में मदद के आश्वासन पर उससे शिकायती पत्र पर साइन करवाए गए, जांच के दौरान आश्रम के विरूद्ध कोई शिकायत न होना स्वीकारते हुए सोनमाला देवी द्वारा आश्रम के विरूद्ध अपनी शिकायत वापस ले ली गयी है। इन सभी शिकायती पत्रों की भाषा, आरोप और अवयव में समानता होना और वह भी अंग्रेजी में जिसकी सोनमाला देवी व भूमेश रमोला को काई जानकारी नही है। जिससे स्पष्ट है कि यह शिकायती प्रार्थना पत्र एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि सभी शिकायती प्रार्थाना पत्र अजय सिंह द्वारा तैयार किये गये है।

विपक्षी हेमन्त ध्यानी की शिकायत पर उप जिलाधिकारी भटवाडी व प्रशासनिक टीम के द्वारा अजय सिंह के कॉटेज निर्माण को प्रतिबंधित कर दिये जाने के उपरान्त वह विपक्षी एवं आर्य विहार आश्रम से बदले की भावना रखना प्रारम्भ कर दिया है। जिसके पश्चात अजय सिंह द्वारा स्वयं अपने साथी भूमेश रमोला तथा स्थानीय लोगों को गुमराह कर विपक्षी हेमन्त ध्यानी एवं आर्य विहार आश्रम के विरूद्ध भ्रामक व तथ्यहीन आरोप लगाकर शिकायती पत्र प्रेषित किये जा रहे है।

आश्रम के विरूद्ध प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र में **The anti-national instincts and activities of Arya Vihar Ashram** अंकित कर **envisage strict action with immediate effect.** का अनुरोध किया गया है। जांच में इस प्रकार का कोई कार्य आश्रम में नही किया जा रहा है, जो देश विरोधी हो। जबकि श्री आर्य ट्रस्ट इस क्षेत्र में वर्ष 1994 से स्थापित आध्यात्म और सामाजिक हित के लिए कार्यरत संस्थान है, आश्रम के साधक हेमंत ध्यानी मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत

Scanned with Cal

सरकार द्वारा पर्यावरणीय संग्यानों के लिए गठित विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों में पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों के जानकार होने के नाते सदस्य चुने गए है और वर्ष 2013 से अपनी सेवाऐं दे रहे है। साबुन निमार्ण (सुन्दरम उद्योग) आश्रम में यदा–कदा की जाने वाली एक छोटी गतिविधि है। जिसे साधक कर्मयोग साधना के तौर पर करते है। यह आरोप अजय सिंह और भूमेश रमोला के द्वारा आश्रम को हानि पहुँचाने की नियत से दुराभाव से दिया गया है। जबकि अजय सिंह द्वारा अपने सौरा कॉटेज निर्माण को योगा और मेडिटेशन सेन्टर बताया जा रहा है।

अजय सिंह निदेशक सौरा कॉटेज भागीरथी नदी के तट पर अवैध निर्माण का दोषी पाये जाने पर प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। सौरा कॉटेज एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है, जो सरकारी **Registrar of Companies(ROC)** की साईट पर सौरा कॉटेज की **Activity-Restaurants, bars and canteens** अंकित किया गया है। जबकि कॉटेज के मालिक अजय सिंह द्वारा स्थानीय एवं प्रशासनीक स्तर पर योगा एवं मेडिटेशन केन्द्र के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। जिससे आवेदक की मंशा गलत दर्शित होती है।

निष्कर्षः– महोदय जांच से शिकायतकर्ता भूमेश रमोला द्वारा सौरा कॉटेज के मालिक अजय सिंह के दबाव एवं प्रलोभन में आकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। जबकि आवेदक भूमेश रमोला एवं सोनभाला देवी द्वारा अपने बयानों में आर्य विहार आश्रम से कोई शिकायत न होना बताया गया है और दोनों ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। अतः विपक्षी हेमन्त ध्यानी एवं आर्य विहार आश्रम, ग्राम सैंज पर लगाये गये आरोप निराधार एवं झूठे है, जो सौरा कॉटेज के मालिक अजय सिंह द्वारा स्वयं के निर्माणाधीन सौरा कॉटेज प्रतिबन्धित किये जाने के उपरान्त विपक्षी को क्षति कारित करने हेतु बदले की भावना एवं दुराभाव से दिया जाना प्रतीत होता है। जांच से सम्पूर्ण प्रकरण सिविल वाद से सम्बन्धित होना पाया गया है।

अतः जाँच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है ।

संलग्नकः– यथोपरी ।

पत्रांक– आर–सीओ–जांच–57/2022
दिनांक– अगस्त–30/2022

पुलिस उपाधीक्षक
उत्तरकाशी।

सत्यापित/
लोक सूचना अधिकारी/
पुलिस उपाधीक्षक
उत्तरकाशी

Scanned with Cal